न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश कन्द्र ग्वालियर

(9)

प्रकरण कमांक /2017 निगरानी PBR/निग./मंदसौर/भू.रा./2017/1931

उमरावसिंह पिता जोरावरसिंह, सौ. राजपुत

निवासी–सुवासरा, तहसील सुवासरा जिला मन्दसौर

—— आवेदक

——विरूद्ध——

1– गुमानसिंह पिता जौरावरसिंह, सौ.राजपुत

निवासी–सुवासरा, तहसील सुवासरा जिला मन्दसौर

2– अशोक कुमार पिता गणेशराम, महाजन,

निवासी–सदर बाजार सुवासरा, तहसील सुवासरा

जिला मन्दसौर ———अनावेदकगण

...र्थी अभिभाषक श्री दिनेश व्यास
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 12-6-17 12.6.17
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

12/06/17

21-6-17

पुनर्निरिक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 144/अपील /14–15 में पारित आदेश दिनांक 17/04/17 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणो के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन–पत्र अंदर अवधि प्रस्तुत करता है :–

01. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि एवं विधान के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

02. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय ने आवेदक द्वारा उठाये गये वैधानिक आपत्तियों पर कोई विचार नही करते हुए भू–राजस्व संहिता के नियम एवम् प्रावधानो के विपरीत जाकर आदेश पारित करने में वैधानिक त्रुटि की है ।

03. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी उचित एवम् वैध कारण के अपीलांट की अपील को निरस्त किया है जबकि तहसील न्यायालय द्वारा नियमों के विरूद्ध जाकर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया है । आवेदक वादग्रस्त भूमि पर काबिज है । पटवारी द्वारा भी रिपोर्ट आवेदक के पक्ष में दी गई है तथा राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अगर किसी पक्ष का किसी व्यक्ति की भूमि पर आधिपत्य पाया जाता है तो पटवारी द्वारा विधिवत् रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर उसका आधिपत्य दर्ज किया जाना चाहिये । मौजुदा प्रकरण में पटवारी द्वारा तहसील

निरन्तर......2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निग./मंदसौर/भू.रा./2017/1931 जिला मंदसौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3—10—17	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 17—4—17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये अपील निरस्त की गई है कि आवेदक द्वारा म0प्र0भू—राजस्व संहिता की धारा 115 व 116 के अन्तर्गत नवीन प्रविष्टि दर्ज कराने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत नवीन प्रविष्टि नहीं की जा सकती है, जो कि प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही है । इसके अतिरिक्त सिविल न्यायालय ने भी उसका कब्जा नहीं माना है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। (मनोज गोयल) अध्यक्ष	